न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या–146 / 2021

उनवान

1. सेवाराम पुत्र खेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी बहादुरवास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. रतनलाल पुत्र खेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी बहादुरवास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. शीशराम पुत्र खेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी बहादुरवास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–वादीगण

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी जरिये पुजारी मुकेश पुत्र रतनलाल निवासी ग्राम बहादुरवास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर योग्य तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री महीपाल कपूरिया – वादीगण की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार जी.ए. – राज्य सरकार की ओर से।

दिनांक : 22.03.2022

वाद वादीगण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा एक वाद इस आशय का दिनांक 27.07.2021 को विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजियात भूमि ख.नं. 306 रकबा 0.0500 हैक्टर गैर मुमकिन बाड़ा, ख.नं. 420 रकबा 3.0200 हैक्टर बारानी अव्वल, ख.नं. 421 रकबा 0.500 हैक्टर गैर मुमकिन सड़क, ख.नं. 422 रकबा 1.6000 हैक्टर बारानी द्वितीय कुल किता 4 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर वाके ग्राम बहादुरवास भू अभिलेख निरीक्षक चूड़ीचतरपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं स्थित है। जिसमें वादीगण प्रत्येक 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी है तथा लगान जमा करवाते है व उपरोक्त आराजियात वादीगण को बहैसियत उत्तराधिकार में इनके पिता खेमराज से प्राप्त हुई है। पूर्व में उपरोक्त आराजियात को वादीगण के पिता स्व. खेमराज बहैसियत भूमि पुजारी मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी वाके ग्राम बहादुरवास काश्त करते थे जिनकी मृत्यु दिनांक 13.09.2001 को हो चूकी है। वादीगण के हक में इन्तकाल सं. 247 दिनांक 16.10.2001 को बहक वादीगण हो चूका है और उक्त मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ की सेवा पूजा बारी बारी से वादीगण व वादीगण के पुत्रान कर लेते है और सेवा पूजा मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी की भेंटपूजा आदि प्राप्त होती है वे प्राप्त कर लेते है। उक्त बिरजा वल्द सुरजमल वादीगण के पूर्वज यानि वादीगण के दादा लगते थे। गत ख.नं. 123 रकबा 4 विश्वा पुख्ता व ख.नं. 173 रकबा 20 बीघा 5 विश्वा पुख्ता वाके ग्राम बहादुरवास है। उक्त आराजियात के अब मौजूदा में ख.नं. 306, 420, 421, 422 कुल किता 4 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर वाके ग्राम बहादुरवास कायम हुये है। पूर्व में उपरोक्त भूमि मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी वाके ग्राम बहादुरवास की बहैसियत माफी मंदिर काश्त होती थी। जिसका पुजारी श्री

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

खेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी बहादुरवास तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.) बहैसियत माफीदार उप कृषक काश्त करता था जिसका इन्द्राज सम्वत 2012 की जमाबंदी में दर्ज है व जमाबंदी सम्वत 2016 में राज. सरकार ने माफी समाप्त कर दी थी और बहक उक्त खेमराज खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2016 की जमाबंदी में दर्ज है। इसी प्रकार से जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 व 2018 मे पुनः उक्त खेमराज को उपकृषक दर्ज कर दिया गया व जमाबंदी सम्वत 2022 व जमाबंदी सम्वत 2030 से 2033, जमाबंदी सम्वत 2038 से 2041, जमाबंदी सम्वत 2043 से 2046 जमाबंदी सम्वत 2047 से 2050 में उक्त खेमराज को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया व माफीदार का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। जबकि उक्त इन्द्राज सम्वत 2022 से 2050 तक की जमाबंदी में बदस्तुर साबिक चला आया है और उक्त वादीगण के पिता खेमराज का इन्तकाल हुआ तब वादीगण उक्त खेमराज के उत्तराधिकारी होने के कारण उपरोक्त आराजियात के प्रत्येक 1/3 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी हो गये। इस प्रकार जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 सम्वत 2012 में लागू हुआ तो राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के सेक्शन 19 के तहत जो शक्स किसी आराजियात में उपकृषक दर्ज था उसको खातेदारी अधिकारी स्वतः ही प्राप्त हो गये तथा जब एक बार किसी पक्षकार/शक्स को किसी आराजियात में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तो राजस्थान सरकार के भू प्रबन्धक विभाग को उक्त पक्षकार के खातेदारी हकूक समाप्त करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। तथा कार्यवाही दौराने भू प्रबन्धक विभाग राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे पूर्व के इन्द्राज की पुनरावृति करनी होती है ना कि पूर्व में इन्द्राजात को समाप्त किया जाता है इसलिये भू प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही पूर्णतयाः गलत एवं निराधार है तथा वादीगण इससे पाबन्द नहीं है तथा वादीगण के हक अधिकारों पर बेअसर है उसके बाद उपरोक्त आराजियात को बिना किसी उचित आदेश के राज. सरकार के जमाबदी सम्वत 2058 से 2078 के माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी में दौराने भू प्रबन्धक कार्यवाही के दर्ज कर दी गई जो पूर्णतया विधि विरूद्ध व सम्बन्धित खसरा गिरदावरियों सम्वत 2009 से 2035 में वादीगण के उक्त मृतक पिता खेमराज की काश्त उक्त आराजियात की बाबत राजस्व अधिकारियों द्वारा दर्ज की गयी है जिसके द्वारा उपरोक्त आराजियात में उक्त मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी को कोई खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं हुये है और उपरोक्त आराजियात के आज भी खातेदार काश्तकार वादीगण ही है। इस प्रकार वादीगण को उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड को पुनः दुरूस्त करवाने हेतु अब ये दावा अदालत हाजा में मजबुरन दायर करना पड़ा है। उक्त उनवानी दावा हाजा के लिये कारण वाद जब वादीगण उपरोक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 07.07.2021 को केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा झुन्झुनूं से ट्रेक्टर खरीदने हेतु ऋण लेने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने गये तब उक्त बैंक के अधिकारियों ने वादीगण को बताया की वादीगण जब तक सक्षम अदालत में कानूनन चाराजोही कर उक्त आराजियात को अपनी खातेदारी काश्त में दर्ज नहीं करवा लेते है तब तक वादीगण को ऋण की राशि नहीं दी जा सकती है। इसलिये वादीगण को अदालत हाजा में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद वादीगण काबिले समाहत अदालत हाजा है क्योंकि उपरोक्त आराजियात अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में है इसलिये श्रीमान जी की अदालत हाजा को इस दावा हाजा के लिये कानूनन श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद वादीगण पूरी 5/– की नियत कोर्ट फीस पर पेश है। वाद वादीगण अन्दर मियाद व काबिले समाआत अदालत हाजा है। वाद वादीगण मुख्य रूप से घोषणार्थ का है। जिसके लिये कानूनन कोई मियाद तैय नहीं है। कभी भी दावा दायर किया जा सकता है। अतः घोषणा इस अमर की फरमावे कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्त की आराजियात भूमि ख.नं. 306 रकबा 0.0500 हैक्टर, ख.नं. 420 रकबा 3.0200 हैक्टर, ख.नं. 421 रकबा 0.500 हैक्टर, ख.नं. 422 रकबा 1.6000 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर वाके ग्राम बहादुरवास भू अभिलेख निरीक्षक चूड़ीचतरपुरा

हसील व जिला झुन्झुनूं वादीगण की बहिस्सा बराबर के हिसाब से संयुक्त खातेदारी काश्त व कब्जे की आराजियत है व मौके पर उपरोक्त आराजियात का लगान भी विधिवत कायम कर दिया जावे व तहसीलदार तहसील झुन्झुनूं व पटवार हल्का बहादुरवास को उक्त आशय की तहरीर जारी फरमाकर उपरोक्त आराजियात को उपरोक्त प्रकार से बहक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर दर्ज किया जाना फरमावे।

विवेचन

उक्तानुसार दावा पेश हाने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत सम्मन/तलवाने पर मय दावा प्रति के वास्ते जवाबदेही प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों बाबत तहसीलदार झुन्झुनूं से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार वाद पत्र में वर्णित भूमि ख.नं. 306, 420, 421, 422 कुल किता 4 कुल रकबा 5.17 हैक्टर ग्राम बहादुरवास पटवार मण्डल बहादुरवास में स्थित है। गत ख.नं. 123 रकबा 4 विस्वा व 173 रकबा 20 बीघा 5 विस्वा ग्राम बहादुरवास से बने है। जमाबंदी सम्वत 2012 में वादीगण के पिता उपकृषक, जमाबंदी सम्वत 2016 में खातेदार, जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 व 2018 में उपकृषक, जमाबंदी सम्वत 2022, जमाबंदी सम्वत 2030 से 2033, जमाबंदी सम्वत 2038 से 2041 जमाबंदी सम्वत 2043 से 2046 में उक्त खेमराज को खातेदार कृषक दर्ज किया गया है जमाबंदी 2047–2050 में खेमराज की मृत्यु उपरान्त विरासत नामान्तरकरण सं. 247 से बनवारीलाल, सेवाराम, रतनलाल, शिशराम, रामअवतार पिता खेमराज जाति ब्राहम्ण दर्ज किया गया है। यह है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौरान भू प्रबन्ध सम्वत 2058–2078 में वर्णित भूमि को माफी मंदिर रघुनाथ जी दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड है। उपर्युक्त वर्णित भूमि खेमराज पिता बिरजलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बहादुरवास के वारिसान सेवाराम पिता खेमराज वगै0 का कब्जा काश्त है। उक्तानुसार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश की गई जो शा0 मिसल है। प्रतिवादीगण नं. 1 ने जवाब दावा पेश कर वाद वादीगण डिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं होना अपने जवाब दावा में अंकित किया गया है। तत्पश्चात साक्ष्य वादीगण में शपथ पत्र PW-1 सेवाराम व शपथ पत्र PW-2 रतनलाल तथा शपथ पत्र PW-3 शीशराम के चीफ शपथ पत्र पेश किये गये जो शा0 मिसल है। तथा राजस्व रिकार्ड प्रदर्श 1 लगायत 20 तक डाले गये। तत्पश्चात मूल वाद में बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने 2019(1)RRT स्टेट बनाम रामजीलाल तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 24.05.2007, 25.11.2011, 12.09.2018, 18.09.2019, 11.06.2020 नजीरे पेश की जो शामिल मिसल की गई। बसह वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि सदैव से ही वादीगण के पूर्वाधिकारियों के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रही है। विवादित भूमि कभी भी मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी की नहीं रही है। माफीदार/जागीरदार की माफी/जागीर अधिग्रहित होने पर भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार हो गये। वर्तमान प्रकरण में भी मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी की जागीर अधिग्रहित होने पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार बन गये है तो राज. सरकार के भू प्रबन्धक विभाग को उक्त पक्षकार के खातेदार हकूक समाप्त करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है इसलिये भू प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही पूर्णतयाः गलत एवं निराधार है तथा वादीगण इसमें पाबन्ध नहीं है इसलिये वादीगण प्रत्येक 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी है। राजस्व अभिलेख में किया गया अंकन विधि अनुरूप होने से राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को व हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया गया। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2012–15 में उपकृषक के रूप में खेमराज पुत्र

बृजलाल जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज है। प्रदर्श 12 खसरा गिरदावरी में सम्वत 2009 से 2034 तक वादग्रस्त जमीन पर खेमराज वल्द बृजलाल का कब्जा काश्त होना जाहिर है। इससे स्पष्ट है कि भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 प्रभाव में आने के वक्त वादग्रस्त भूमि पर खेमराज वल्द बृजलाल उपकृषक के रूप में काबिज काश्त था। तत्पश्चात वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने पर वादीगण के नाम दर्ज हो जाना दर्ज है। दौराने भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा जमाबंदी सम्वत 2058 से 2078 में माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि मंदिर मूर्ति रघुनाथ जी विवादित भूमि के माफीदार थे तथा वादीगण के पूर्वज खेमराज पुत्र बृजलाल काश्त/उपकृषक दर्ज रहे है। भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 प्रभाव में आने पर इसके प्रावधानों के अनुसार माफीदार जागीरदार की जागीर अधिग्रहित हो गई एवं उसके स्थान पर राज्य सरकार आ गई तथा काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार हो गये। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारियों के खातेदारी में दर्ज की गई है जो विधि अनुरूप ही है। राज्य सरकार ने भी परिपत्र दिनांकित 24.05.2007, 25.11.2011, 12.09.2018, 18.09.2019, 11.06.2020 जारी कर माफीदार/जागीरदार की ऐसी भूमियों पर काबिज काश्तकार को खातेदार दर्ज किया जाना उचित मानते हुये उसे यथावत रखे जाने का निर्देश दिया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों एवं बाद में विरासत के आधार पर वर्तमान प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज की गई है जो विधि अनुरूप होने से हम वाद वादीगण सिद्ध होने स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है। लिहाजा–

निर्णय

उक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम बहादुरवास के गत खसरा नम्बर 123 रकबा 4 विश्वा पुख्ता व ख.नं. 173 रकबा 20 बीघा 5 विश्वा पुख्ता के हाल ख.नं. 306 रकबा 0.0500 हैक्टर, ख.नं. 420 रकबा 3.0200 हैक्टर, ख.नं. 421 रकबा 0.500 हैक्टर, ख.नं. 422 रकबा 1.6000 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर में दर्ज खातेदारी माफी मंदिर हिस्सा पूर्ण खातेदार अ.विव श्री रघुनाथ जी का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण क्रमशः सेवाराम, रतनलाल शीशराम पुत्रगण खेमराज जाति ब्राहम्ण निवासीगण बहादुरवास तहसील मंडावा जिला झुन्झुनूं के नाम राजस्व में अमल दरामद करने का निर्णय लिया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू
झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :— 146 / 2021

उनवान

सेवाराम वगै0 बनाम मूर्ति मंदिर वगै0

दावा बाबत :— दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :— 22.03.2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महिपाल कपूरिया, प्रतिवादीगण की ओर से श्री श्रवण कुमार जी ए उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने डिक्री की जाती है कि उक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम बहादुरवास के गत खसरा नम्बर 123 रकबा 4 विश्वा पुख्ता व ख.नं. 173 रकबा 20 बीघा 5 विश्वा पुख्ता के हाल ख.नं. 306 रकबा 0.0500 हैक्टर, ख.नं. 420 रकबा 3.0200 हैक्टर, ख.नं. 421 रकबा 0.500 हैक्टर, ख.नं. 422 रकबा 1.6000 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर में दर्ज खातेदारी माफी मंदिर हिस्सा पूर्ण खातेदार अ.विव श्री रघुनाथ जी का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण क्रमशः सेवाराम, रतनलाल शीशराम पुत्रगण खेमराज जाति ब्राहम्ण निवासीगण बहादुरवास तहसील मंडावा जिला झुन्झुनूं के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार मंडावा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	00
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	51		00

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू